उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या :91/2016/1170/छप्पन-2016-56/2010

लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन परिचालन इकाई उ0प्र0 लखनऊ में पायलट (रोटर विंग) के पद पर विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1575/छप्पन-2010-20/2010, दिनांक 10.12.2010 के द्वारा नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 1,80,000/- (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) पर दिनांक 01.12.2010 से 05 वर्ष (पॉच वर्ष) के लिये संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा द्वारा दिनांक 01.12.2010 के पूर्वान्ह में योगदान प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या 119/छप्पन-2016-56/10, दिनांक 29.01.2016 द्वारा दिनांक 01.12.2015 से आगामी एक वर्ष के लिए श्री पड्डा की संविदा अवधि बढ़ायी गयी थी, जो दिनांक 30.11.2016 को समाप्त हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री पड्डा ने अभी निदेशालय में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है तथा इनकी वर्तमान में मासिक पारिश्रमिक रूपये 4,72,500/- (रूपये चार लाख बहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) है। अत: श्री पड्डा की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपये 4,72,500/- (रूपये चार लाख बहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के आधार पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रेत्तर 03 वर्ष (तीन वर्ष) बढ़ा दी जाय।

2- अत: श्री राज्यपाल पायलट (रोटर विंग) विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा की संविदा अवधि दिनांक 01.12.2016 से अग्रेतर 03 वर्ष अर्थात् दिनांक 30.11.2019 तक वर्तमान नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 4,72,500/- (रूपये चार लाख बहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते तथा शासनादेश दिनांक 9.9.2014 प्राविधानों के अनुसार 05 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम- 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को एक पक्ष में उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा,
पायलट (रोटर विंग)
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

संख्या : 91/2016/1070(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।